न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या :– **68/2019**
आर.सी.एम.एस. :– **2019/00118**
दायर तिथि :– **10.10.2019**
तारीख निर्णय :– **23.01.2020**

प्रार्थीगण :–

1. दिलीप कुमार पुत्र लक्ष्मणलाल
2. मूलचन्द पुत्र लक्ष्मणलाल
3. गीता पुत्री लक्ष्मणलाल
4. मधु पुत्री लक्ष्मणलाल
5. मु. शान्तिबाई पत्नि लक्ष्मणलाल
   जातिगण – लुहार, निवासीगण – बांकली
   तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नरपतसिंह पुत्र जयसिंह
   जाति – भोमिया राजपूत, निवासी – बांकली
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र छोगाराम
3. वनी देवी पत्नि स्व. छोगाराम
   जातिगण – लुहार, निवासीगण – बांकली
   तहसील – सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय तिथि : 23.01.2020

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. सरहद मौजा बांकली तहसील सुमेरपुर में प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 1073/1, 1076, 1055/1, 799 रकबा क्रमशः 0.43, 0.71, 1.95, 0.36 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है। जो भूमि कैम्प बांकली में दिनांक 25.05.2015 के निर्णय व डिक्री अनुसार बंटवाडे में जरिये नामान्तरकरण सं. 1913 दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी है। प्रार्थीगण खातेदार फालना स्टेशन रहते है, जो अपनी खातेदारी भूमि की देखभाल करने हेतु बांकली आते जाते है। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार सुमेरपुर से दिनांक 20.06.2019 को सीमांकन का आदेश करवाया, जिस आदेश की पालना में हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक बांकली मौके पर आये। सीमांकन कर निशानात बताये। जिस अनुसार प्रार्थी दिलीपकुमार ने दिनांक 29.06.2019 को चम्पालाल माली नि. कानपुरा को ले जाकर तारबन्दी करवानी चाही। उसी समय अप्रार्थी सं. 3 श्रीमती वनी देवी फायसा गालियां बोलते हुए काम करने नहीं दिया। तथा अप्रार्थी सं. 3 ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने माननीय राजस्व अपीलाण्ट पाली के समक्ष दिनांक 15.05.2015 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दिनांक 12.07.2019 को अपील पेश की व बाले बाले दिनांक 12.07.2019 को ही एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिस आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गयी उस अपील में एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 12.07.2019 को निरस्त कर दिया है। अप्रार्थीगण बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति है। अपनी मनमर्जी अनुसार खेती करने व हमे बेदखल करने पर उतारू है। अगर कोई विशेष परिस्थति में न्यायालय इस स्थिति में पहुंचे कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण बिना आधार अधिकार के कोई अतिक्रमण करते है तो 5000/– रूपये (पांच हजार रूपये) प्रति बीघा प्रतिवर्ष की नकद प्रतिभूति न्यायालय हाजा में जमा करवावें।

लगातार पेज 2.....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी वाद के निर्णय तक नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावें।

2. प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब व बहस प्रस्तुत कर अप्रार्थीगणों की ओर से जाहिर किया गया कि जो भूमि प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की बता रहे है जो मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व की है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण फालना स्टेशन पर काफी वर्षों से निवास करते है। उपरोक्त भूमि कैम्प बांकली में दिनांक 25.05.2015 के निर्णय व डिक्री अनुसार बंटवाडे में जरिये नामान्तरकरण सं. 1913 दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी है। जिसकी अपील हम अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.07.2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में पेश की गयी है, जिसमें मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। जिस स्थगन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त किये जाने की जानकारी हम प्रार्थीगण को नहीं है। मूल बंटवाडे के निर्णय एवं डिक्री की अपील आज भी विचाराधीन है तथा श्रीमान् के न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाडे की निर्णय एवं डिक्री में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से एक ही वाद विषय पर पुनः वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। तथा प्रार्थीगणों को यदि स्थगन की आवश्यकता होती तो प्रार्थीगण राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश दिनांक 12.07.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से आदेश निरस्त नहीं करवाते। जिस आदेश की प्रति प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश की है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीगणों को स्थगन आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है तथा मौके पर बंटवाडे की निर्णय एवं डिक्री से पूर्व की स्थिति ही आज दिन तक चली आ रही है। उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट न्यायालय में विचाराधीन रहते हुये पालना नहीं की जा सकती है।

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस के तथ्यों एवं प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण की भूमि में जारी बंटवाडे के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.05.2015 की अपील अप्रार्थीगणों द्वारा दिनांक 12.07.2019 को राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में पेश की गयी है, जो विचाराधीन है। जिसमें मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। जिस स्थगन को प्रार्थीगणों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त दिनांक 29.08.2019 को किया गया है तथा उक्त बंटवाडे की निर्णय एवं डिक्री में स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से एक ही वाद विषय पर पुनः वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। तथा प्रार्थीगणों को यदि स्थगन की आवश्यकता होती तो प्रार्थीगण राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश दिनांक 12.07.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से आदेश निरस्त नहीं करवाते। इस परिस्थति में स्थगन आदेश जारी किये जाने से न्यायालय आदेशों में विसंगतता होगी। जिससे प्रथम दृष्टतया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है जिससे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 को सरेइजलास सुनाया गया।
प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.13 16:26:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: